बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी,पटना को दिनांक 14 मार्च 2022 को समर्पित ज्ञापन

1. पासपोर्ट के आवेदन का On line हो जाने से लोगों को काफी सुविधा हो गई है परन्तु बिहार में अभी भी खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से लोग Computer Friendly नहीं हुए हैं या उनके पास इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वे आधुनिक तकनीक का लाभ नहीं उठा पाते हैं । अत: वैसे लोगों के लिए पासपोर्ट कार्यालय में समुचित संख्या में ''सहायता केन्द्र'' की स्थापना हो जाए तो काफी सुविधा हो जाएगी क्योंकि वर्तमान में विभाग की ओर से जो काउन्टर है उस पर भीड़ होने के कारण लोगों को जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है । इससे एक और फायदा होगा कि नये लोगों को दलाल भ्रमित नहीं करेंगे । इसके लिए यदि आवश्यक हो तो Nominal charge भी रखा जा सकते हैं ।

2. पासपोर्ट के आवेदन का प्रावधान On line हो जाने के कारण राज्य के विभिन्न भागों से लोग अपना आवेदन ऑन लाईन करते हैं परन्तु Verification के लिए उन्हें पटना आना पड़ता है इसलिए ऐसा प्रावधान किया जाए कि जो आवेदक जिस जिला में हैं उनका Verification उसी जिला में हो जाए ।

3. पासपोर्ट में नाम के Spelling में कोई त्रुटि हो या और कोई अन्तर होता है और उसमें यदि सुधार की आवश्यकता होती है तो उसे सुधारने की प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए । जैसे किसी व्यक्ति का नाम सुमित है और उसका स्पेलिंग SUMIT या SUMEET हो जाता है । उसी प्रकार से किसी महिला का नाम पुजा है और उसका स्पेलिंग PUJA या POOJA दोनो हो सकता है ।

4 कुछ लोग ऐसे हैं जो पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं परन्तु नौकरी, व्यवसाय एवं पढ़ाई के सिलसिले में उन्हें दूसरे प्रदेशों में रहना पड़ता है । वैसे लोगों को अचानक संबंधित थाना द्वारा यह जानकारी दी जाती है कि आपका Police Verification के लिए आ रहे हैं घर पर रहिएगा वैसे लोगों को काफी असुविधा हो जाती है । अत: हमारा सुझाव है कि Verification की सूचना आवेदक को पूर्व में ही देने की व्यवस्था हो जाये तो आवेदक को सुविधा होगी ।

क्रमश: 2

पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं थाने के बीच Police Verification के मामले में अभी भी देरी हो रही है । काम जल्दी हो इसके लिए आज हर क्षेत्र में On line प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है इसलिए इस प्रक्रिया को भी ऑन लाईन किया जाना चाहिए या Police Verification की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।

5 माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री ने आम बजट 2022-23 के क्रम में घोषणा की है कि अब विदेश यात्रा के लिए e-Passport जारी किया जाएगा जिससे विदेश यात्रा करनेवाले लोगों को आसानी होगी । अत: हम चाहेंगे कि e-Passport के संबंध में हमसभी को अवगत कराया जाए ।

6. पूर्व में समाचार पत्रों में आया था कि जल्द ही पटना में विदेश भवन का निर्माण कार्य आरम्भ होगा । यह एक स्वागतयोग्य कदम है और इससे राज्यवासी लाभान्वित होंगे अत: इस संबंध में आपसे अद्यतन जानकारी चाहेंगे ।

7. राज्य के दूर–दराज के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिले इसके लिए राज्य के विभिन्न डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलना एक स्वागतयोग्य कदम है । इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि उस पासपोर्ट सेवा केन्द्र के कार्यप्रणाली पर बराबर ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना हुई है उसकी पूर्ति हो सके साथ ही राज्य के वैसे भाग जहॉ पर यह सुविधा अभी तक नहीं प्रदान की गयी है उसे भी समाहित किया जाना चाहिए ।

8. वैसे लोग जिन्हें पूर्व में पासपोर्ट जारी की जा चुकी है परन्तु अपरिहार्यवश खो गया हो या चोरी हो गया हो और वे पासपोर्ट के लिए पुन: आवेदन करते हैं तो वैसे लोगों के लिए Police verification की अनिवार्यता पर विचार करते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

यदि किसी व्यक्ति का पहले से पासपोर्ट है और Renewal के समय उन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है तो वैसे लोगों के लिए भी Police verification का प्रावधान नहीं होना चाहिए ।

9. कुछ–कुछ अन्तराल पर पासपोर्ट कार्यालय में तथा इसके अगल–बगल पुलिस की ओर से सघन जॉच की जानी चाहिए जिससे कि अवांछित तत्व दूर–दराज से आनेवाले लोगों को भ्रमित कर उन्हें बेवजह परेशान नहीं कर सके ।

10. जब–तक आरोप साबित नहीं हो या अभियोग गठित (Charge Frame) न्यायालय में Submit नहीं किया गया हो तब – तक केवल इस आधार पर की आप पर आपराधिक

क्रमश: 3

मुकदमें हैं पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि व्यवसाय के क्रम में व्यवसायियों पर शंका के आधार पर मुकदमें भी दायर किये जाते हैं और न्यायालय का निर्णय आने में काफी लम्बा समय लग जाता है । जब–तक न्यायालय द्वारा देश छोड़ने पर प्रतिबंध या अभियोग गठित (Charge frame) नहीं किया जाता है, इसे कम्पलेक्स केस नहीं समझा जाना चाहिए ।

11 पासपोर्ट बनाने में जन्म तिथि में सुधार से संबंधित मामले में काफी परेशानी हो रही है । इसे सुविधाजनक बनाने हेतु आपके स्तर से दिशा–निर्देश दिया जाना चाहिए

12 स्कूल के प्रमाण–पत्र में मॉ–पिता का नाम एवं आधार कार्ड में साधारण Difference जो कि स्वभाविक है, होने के कारण भी पासपोर्ट बनाने में असुविधा हो रही है ।

13 पासपोर्ट बनाने के लिए Appointment में कम–से–कम समय लगे ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए इससे आवेदक को सुवधि होगी ।

14 तत्काल में पाासपोर्ट का Renewal हेतु Apply करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

15 छः माह में कम से कम एक बार पासपोर्ट अदालत आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि आवेदक अपनी बातों को आपके समक्ष रख सकें ।

16. पूर्व में पासपोर्ट कार्यालय में अत्यधिक भीड़ से बचने के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों को विशेष सुविधा प्रदान करते हेतु वरिष्ठ नागरिक के काउन्टर पर ही व्यवस्था की गयी थी अतः इस व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए ।

****

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज,पटना
दिनांक : 14 मार्च 2022